भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2200
जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

क्षेत्रीय पीठों की स्थापना

2200. श्री बापी हलदर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर संवैधानिक व्याख्या संबंधी मामलों पर निर्णय देने के लिए उच्चतम न्यायालय के भीतर एक अलग संवैधानिक प्रभाग स्थापित करने हेतु विशिष्ट कदम उठाए हैं ;

(ख) क्या विधि आयोग के सुझाव के अनुसार, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया है; और

(ग) संवैधानिकः न्यायालय या क्षेत्रीय पीठों के गठन पर अंतर-मंत्रालयी परामर्श या न्यायिक सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और कार्यान्वयन के लिए विचार, यदि कोई हो, की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 में यह उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायामूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे।

ग्यारहवें विधि आयोग ने 1988 में प्रस्तुत अपनी 125$^{वीं}$ रिपोर्ट "उच्चतम न्यायालय– एक नई दृष्टि" में दसवें विधि आयोग द्वारा अपनी 95$^{वीं}$ रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को दोहराया, जिसमें उच्चतम न्यायालय को दो भागों में बांटने का सुझाव दिया गया था, अर्थात् (i) दिल्ली में संवैधानिक न्यायालय और (ii) उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और केन्द्रीय भारत में बैठने वाली अपील न्यायालय

या संघीय न्यायालय। अठारहवें विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया था कि दिल्ली में एक संवैधानिक पीठ स्थापित की जाए और चार कैसेशन पीठ दिल्ली के उत्तरी क्षेत्र, चेन्नई/हैदराबाद के दक्षिणी क्षेत्र, कोलकाता के पूर्वी क्षेत्र और मुंबई के पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित की जाएं।

यह मामला भारत के मुख्य न्यायामूर्ति को भेजा गया, जिन्होंने बताया कि मामले पर विचार करने के पश्चात्, 18 फरवरी, 2010 को हुई पूर्ण न्यायालय बैठक में दिल्ली के बाहर उच्चतम न्यायालय की पीठ बनाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

राष्ट्रीय अपील न्यायालय स्थापित करने के लिए रिट याचिका डब्ल्यूपी(सी) नंबर 36/2016 में, उच्चतम न्यायालय ने 13.07.2016 के अपने निर्णय में पूर्व उल्लिखित मुद्दे को प्राधिकार पूर्ण निर्णय के लिए संवैधानिक पीठ को भेजना सही समझा। यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

****